

FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 16)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....रूपबासमुकाम रूपबास, जिला भरतपुर...

..... बनाम विजिन्द

किस्म मुकदमा धारा 53.88.89.188 आर.टी.एक्ट मु०न० 34-7 सन्.....2024.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2024	<p>आज यह वाद पत्र वादी के अभिभाषक द्वारा अन्तर्गत धारा 53.88.89.188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया प्रतिवादी स01 की ओर से श्री पंकज सरस एड0 उप0 आये। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादी स01 के जबाब/शेष प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्यक रजि.ए.डी सम्मन से की जाकर पत्रावली दिनांक 09.12.2024 को पेश हो।</p> <p><i>Wjh</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपबास (भरतपुर)</p>	
9/12/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वादी स01 व स02 की ओर से श्री सत्योष शर्मा एड० ने कालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 18/2/25 को पेश हो।</p> <p><i>Wjh</i></p>	
18/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी श्वडलके अश्लि. उपस्थित नहीं। बार-बार कई अंतरालों में वादी श्वडलके</p>	



अभिभाषक को आवाज दिलवाने के वाक्य
~~अभिभाषक~~ आवाज हाजा में उपस्थित नहीं
आये। ऐसी स्थिति में वाक्य का वाक्य
पर अक्षर हाजिरी एवं अक्षर पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैलत अक्षर होकर नम्बर से कम
हो शरिखत अक्षर हो

vish

विशेष अक्षर
(अक्षर) अक्षर